अनुसूची 14–फारम सं0–562

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक – ता0...से..तक

जिला................सहरसा.............................., सं0..................72.........................., सन् 2025

केसका प्रकार........................**भूमि विवाद अपील....................(रामदेव यादव बनाम देव नारायण सिंह एवं अन्य व राज्य)**.........

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
13.06.2025	प्रस्तुत भूमि विवाद अपील न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरी बख्तियारपुर द्वारा बी0एल0डी0आर0 वाद सं0–62/2023–24 में दिनांक 22.05.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में विलंब से लाया गया है। विलंब क्षांत हेतु आवेदन दाखिल नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। निम्न न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि से संबंधित खतियान, निबंधित विक्रय पत्र, लगान रसीद आदि साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है। जिसके आधार पर साक्ष्य के अभाव में निम्न न्यायालय द्वारा इनके वाद को अस्वीकृत किया गया है। इस न्यायालय में भी वाद पत्र के साथ अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित Admissible साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव इस अपील आवेदन को खारिज किया जाता है। Rajesh k. 13/6/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित Rajesh k. 13/6/25. आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा।	

आयुक्त न्यायालय कोशी प्रमण्डल, सहरसा